National Apprenticeship Promotional Scheme (NAPS-2)

National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) अंतर्गत युवाओं को औद्योगिक प्रतिष्ठानों में On the job training कराया जाता है। राज्य में 29 से अधिक कर्मियों वाले प्रतिष्ठान (निजी/PSU/PSE/सरकारी) में कुल स्थापना का 2.5 से 15 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को रखे जाने का प्रावधान है। शिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS-2) में आई0टी0आई0 पास प्रशिक्षुओं को न्युनतम मासिक वृत्तिका रूपये 9,600 दिया जाता है, जिसमें से 25 प्रतिशत राशि (अधिकतम रूपये 1,500) भारत सरकार द्वारा DBT के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी संबंधित जिलें के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों या वेबसाईट https://www.apprenticeshipindia.gov.in/ से प्राप्त की जा सकती है।